

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर ।


क्रमांक: निदे/मुमनिदयो/2013/ 422

दिनांक: 27/9/13

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान ।

विषय:- आरएमआरएस के माध्यम से अनुबंध पर कार्यरत कम्प्यूटर मय आपरेटर
(Machine along with trained personnel) के क्रम में।
संदर्भ:- निदेशालय का पूर्व पत्रांक 419 दिनांक 26/09/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के अंतर्गत आरएमआरएस के माध्यम से अनुबंध पर औषधि भण्डारों (sub store) व औषधि वितरण केन्द्रों (DDC) में अधोहस्ताक्षरकर्ता के नियंत्रणाधीन कार्यरत कम्प्यूटर मय आपरेटर (Machine along with trained personnel) की सेवा अवधि बढ़ाये जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन है। अतः अग्रिम आदेशो तक आरएमआरएस के माध्यम से अनुबंध पर कार्यरत कम्प्यूटर मय आपरेटर (Machine along with trained personnel) को कार्य मुक्त नहीं किया जायेगा।


निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर ।

क्रमांक: निदे/मुमनिदयो/2013/

दिनांक:

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा, स्वा एवं प0क0 विभाग, राजस्थान सरकार को उनके निर्देशो की अनुपालना में।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, सचिव एवं मिशन निदेशक, एन आर एच एम मुख्यालय ।
4. प्रबंध निदेशक, आरएमएससी, मुख्यालय, जयपुर को उनके द्वारा जारी एस एम एस दिनांक 23/09/13 के क्रम में।
5. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, मुख्यालय ।
6. प्रभारी, जिला औषधि भंडार, राजस्थान ।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि समस्त संबंधित को मेल करें।
8. रक्षित पत्रावली ।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर ।